फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 298/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/327) **श्री राजु कलाल बनाम उप तहसीलदार बस्सी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18.10.2023	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री पी.सी.पालीवाल - वकील अपीलार्थी 2. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी **अनवान** 1. श्री राजु पिता श्री हरकलाल कलाल, निवासी बड़ी का खेड़ा, तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ **अपीलार्थी** 1. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी उप तहसीलदार बस्सी, जिला चित्तौड़गढ़। **प्रत्यर्थी**	

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ का निर्णय दिनांक 10.08.2021, प्रकरण संख्या 04/2018, बउनवानी श्री राजु कलाल बनाम उपतहसीलदार बस्सी

<u>निर्णय</u>

दिनांक 18.10.2023

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ का निर्णय दिनांक 10.08.2021, प्रकरण संख्या 04/2018, बउनवानी श्री राजु कलाल बनाम उपतहसीलदार बस्सी, के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम अधिनियम के पेश की गई है।

प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है-

- रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार श्री राजु पिता हरकलाल कलाल, बडी का खेड़ा, तहसील चित्तौड़गढ़ ने ग्राम बड़ी के खेड़ा की आराजी संख्या 49 मी रकबा 10.45 हैक्टेर में से 0.90 है. किस्म मंगरी भूमि कें फसल काश्त कर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर उप तहसीलदार, बस्सी द्वारा धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 22/2015 दर्ज कर निर्णय दिनांक 10.05.2015 को पारित किया और उक्त भूमि पर किये अतिक्रमण को हटा कर बेदखल करने व कुल राशि 45 रूपया का अर्थदण्ड अधिरोपित करने का आदेश प्रसारित किया। साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने से गैर सायल को 2 माह सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने हेतु भी आदेशित किया।

- उपतहसीलदार, बस्सी के निर्णय दिनांक 10.05.2015 से असंतुष्ठ होकर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए निर्णय दिनांक 15.11.2016 पारित किया।

- उक्त निर्णय दिनांक 15.11.2016 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसके नम्बर 42/2016 हुए। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण संबंधी बिन्दु पर समुचित परिक्षण अपेक्षित होने से अपने निर्णय दिनांक 01.11.2017 से प्रकरण पुनः जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रेषित किया।

- जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसरण में तहसीलदार बस्सी से पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में मौके की रिपोर्ट प्राप्त कर परिक्षणोपरांत अपीलार्थी की अपील को निरस्त करते हुए उपतहसीलदार बस्सी के निर्णय को यथावत रखते हुए निर्णय दिनांक 10.08.2021 को पारित

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 298/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/327) **श्री राजु कलाल बनाम उप तहसीलदार बस्सी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

किया।

उक्त निर्णय दिनांक 10.08.2021 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय समक्ष बेरून मयाद अपील दिनांक 28.12.2021 को प्रस्तुत की। प्रस्तुत अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय आरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया।

दिनांक 11.10.2023 को अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित जिनकी बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील मेमों व मौखिक बहस में प्रस्तुत किया है कि उप तहसीलदार बस्सी द्वारा अपीलार्थी को अतिक्रमण बाबत नोटिस जारी किया गया, उक्त नोटिस की पालना में अपीलार्थी उपतहसीलदार समक्ष उपस्थित हुआ लेकिन अपीलर्थी को पूर्ण सुनवाई का अवसर दिये बिना उपतहसीलदार द्वारा आदेश पारित कर दिया गया, जिसकी अपील जिला कलक्टर समक्ष की गई और तत्पश्चात अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ समक्ष प्रस्तुत की गई, जिनके द्वारा प्रकरण जिला कलक्टर को पुनः पश्चातवर्ती अतिक्रमण संबंधी बिन्दु पर जांच करने कर बिन्दु तय करने हेतु प्रेषित किया था परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस संबंध में कोई जांच नहीं की गई और अपने अधीनस्थ से तथाकथित रिपोर्ट प्राप्त कर निर्णय पारित करने में त्रुटि की गई। उक्त रिपोर्ट में कोई दिनांक वर्णित नहीं है। रिपोर्ट अपीलार्थी के पीछे अपनी मर्जी से बनाई गई है। उपतहसीलदार द्वारा बेदखली के आदेश पारित करने से पूर्व विपक्षी पक्षकार को प्रतिपरिक्षा का अवसर नहीं दिया गया जो विधि विरूद्ध है। वक्त निर्णय अपीलार्थी के बीमार होने से वह ससमय अपील प्रस्तुत नहीं कर सका, इसके अतिरिक्त कोरोनाकाल में विलम्ब उपशमन हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी निर्देश दिये है। मयाद उपशमन बाबत अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम को पेश किया है। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर एवं उपतहसीलदार के निर्णय को निरस्त फरमायें जाने का अनुरोध किया।

प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय का आक्षेपित निर्णय पूर्णतया विधि सम्मत एवं विधिक प्रक्रिया के पालन उपरान्त पारित किये जाने से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने का अनुरोध किया और कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों समक्ष अपीलार्थी को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया, परन्तु वह दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा।

हमने उपस्थित अधिवक्ता की विद्वतापूर्ण बहस व अपील मेमों के अंकित कथनों पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया।

सवप्रर्थम मयाद के बिन्दु को विनिश्चित किया जाना उचित समझते हुए मयाद अधिनियम कें प्रार्थना पत्र में अंकित कारणों पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.08.2021 के विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा दिनांक 28.12.2021 को अपील मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी द्वारा कोविड महामारी आरम्भ होने, बीमार होने एवं कोविड काल के दौरान माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा मयाद उपशमन किये जाने के आदेशो का हवाला दिया। प्रस्तुत कारण संतोषप्रद एवं पर्याप्त होने से एवं माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 10.01.2022 के आदेश से दिनांक 15. 03.2020 से 28.02.2022 तक मयाद उपशमन के निर्देशों के दृष्टिगत हस्तगत प्रकरण के प्रस्तुतीकरण में हुई देरी को उपशमन किया जाकर अपील अन्दर मयाद शुमार की जाती है।

प्रकरण का गुणावगुण पर विवेचन किये जाने के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय एवं न्यायालय हाजा की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। पत्रावलियों के अवलोकन से प्रकट होता है कि रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार श्री राजु पिता हरकलाल कलाल, बडी का खेड़ा, तहसील चित्तौड़गढ़ ने

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 298/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/327) **श्री राजु कलाल बनाम उप तहसीलदार बस्सी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	ग्राम बड़ी के खेड़ा की आराजी संख्या 49 मी रकबा 10.45 हैक्टेर में से 0.90 है. किस्म मंगरी भूमि कें फसल काश्त कर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर लिया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर उप तहसीलदार, बस्सी द्वारा धारा-91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 22/2015 दर्ज कर निर्णय दिनांक 10.05. 2015 को पारित किया और उक्त भूमि पर किये अतिक्रमण को हटा कर बेदखल करने व कुल राशि 45 रूपया का अर्थदण्ड अधिरोपित करने का आदेश प्रसारित किया। साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने से गैर सायल को 2 माह सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने हेतु भी आदेशित किया। उपतहसीलदार, बस्सी के निर्णय दिनांक 10.05.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ समक्ष अपील अन्तर्गत धारा-75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज करते हुए निर्णय दिनांक 15.11.2016 पारित किया। उक्त निर्णय दिनांक 15. 11.2016 से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़ समक्ष अपील प्रस्तुत की गई, जिसके नम्बर 42/2016 हुए। राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण संबंधी बिन्दु पर समुचित परिक्षण अपेक्षित होने से अपने निर्णय दिनांक 01.11.2017 से प्रकरण पुनः जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ को प्रतिप्रेषित किया। जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 01.11.2017 के अनुसरण में तहसीलदार बस्सी से पश्चातवर्ती अतिक्रमण के संबंध में मौके की रिपोर्ट प्राप्त कर परिक्षणोपरांत अपीलार्थी की अपील को निरस्त करते हुए उपतहसीलदार बस्सी के निर्णय को यथावत रखते हुए निर्णय दिनांक 10.08.2021 को पारित किया, जिसके फलस्वरूप हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई। अपीलार्थी का तर्क रहा है कि राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश की पालना अक्षरशः नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा राजस्व अपील प्राधिकारी के निर्णय अनुसार वांछित परिक्षण उपरान्त उप तहसीलदार, बस्सी से पश्चावर्ती अतिक्रमण के संबंध में रिपोर्ट भिजवाने बाबत लिखा गया जिस पर उप तहसीलदार द्वार परिक्षणोपरांत मौका निरिक्षण उपरान्त रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जिसके अनुसार अपीलार्थी का विवादित आराजीयात पर वर्ष 2014, 2015, 2016, 2017 तक लगातार कब्जा है एवं वर्ष 2018 में कब्जा नहीं होना तथा पुनः वर्ष 2019 में उक्त आराजीयात रकबा 0.90 हैक्टेयर पर अतिक्रमण होकर 0. 50 हैक्टेयर में चरी ज्वार की बुवाई करना एवं 10 बाई 10 वर्गफीट की दो दुकानों का निर्माण होना तथा शेष भूमि पड़त होना बताया है। इस प्रकार वर्ष 2018 को छोड़कार वर्ष 2014 से 2019 तक वर्तमान में भी अपीलार्थी का अतिक्रमण होना बताया है। यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी उक्त भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है और दो दुकानों का निर्माण ओर कर लिया गया है। आलोच्य प्रकरण में उपतहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार प्रश्नगत रकबे पर अपीलार्थी ने दुकान निर्माण कर अतिक्रमण किया जाना परिलक्षित होता है। मामले में वांछित पटवारी हल्का की रिपोर्ट एक जिम्मेदार राज्य सेवक द्वारा निर्मित्त की गई है तथा ऐसी रिपोर्ट को अन्यथा सिद्ध किए जाने बाबत अपीलार्थी ने किसी प्रकार की प्रभावी साक्ष्य पेश नहीं की है। उल्लेखनीय है कि अतिक्रमी हमेशा अतिक्रमी ही होता है तथा दण्ड का भागीदार होता है। उपतहसीलदार के रिपोर्ट से यह भी जाहिर आया है कि उक्त आराजी गांवाई गैर मुमकिन मंगरी (चारागाह) के रूप में उपयोग में ली जाती है, जो की प्रतिबंधित भूमि है, जिस पर किसी को भी खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के धारा-16 का उल्लधंन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रतिबंधित भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। प्रतिबंधित भूमि के नियमन/आवंटन के कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं है। अपीलार्थी अपने कब्जे को विधि के प्रवर्तन में विधि के अनुसरण में स्थापित करने में विफल रहा है जिसका परिणाम बेदखली विधि में प्रावधनित है। दौराने बहस एवं जरिये अपील मेमों, अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा विभिन्न उजर	

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 298/2021 राजस्व (जीसीएमएस/2021/327) **श्री राजु कलाल बनाम उप तहसीलदार बस्सी**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

प्रस्तुत किये गये, जिसके अवलोकन से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी अधिवक्ता द्वारा वही उजर प्रस्तुत किये गये जो अधीनस्थ न्यायालयों एवं अपीलीय न्यायालय समक्ष भी प्रस्तुत किये गये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक परिक्षण कर अपना अभिवचन अभिलिखित करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया। अपने कथनों का दस्तावेजी साक्ष्य से सफलतापूर्वक साबित करने का भार सर्वदा लाभार्थी पर ही होता है, परन्तु इस प्रकरण में अपीलार्थी हस्तगत अपील में वर्णित कथनों को साबित करने में असफल रहा है। अपीलार्थी द्वारा यह भी सफलतापूर्वक खण्डन नहीं किया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में क्या विधिक त्रुटि है।

जहां तक अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर दिये जाने का प्रश्न है, यह मान भी लिया जाये की उप तहसीलदार द्वारा उसे अवसर प्रदान नहीं किया गया परन्तु अपीलीय न्यायालयों समक्ष उसे पर्याप्त सुनवाई के अवसर प्रदान किये गये फिर भी अपीलार्थी आलौच्य आदेशों में किये विवेचन का सफलतापूर्वक खण्डन करने के असफल रहा है।

विवादित भूमि किस्म गांवाई गैर मुमकिन मंगरी (चारागाह) होकर अपीलार्थी द्वारा अतिक्रमण होने पर अधीनस्थ न्यायालयों ने विधि अनुसार कार्यवाही कर अपीलार्थी को अतिक्रमी घोषित कर बेदखली का आदेश एवं अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण किये जाने से गैर सायल को 2 माह सिविल कारावास की सजा से दण्डित किये जाने हेतु भी आदेशित किया। हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति का विवेचन करते हुए और पर्याप्त कारण अंकित करते हुए आलौच्य निर्णय पारित किया है, ऐसे तर्कसगत एवं विधिसम्मत निर्णय में यह न्यायालय कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझता है।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचनानुसार **अपील अपीलान्ट अस्वीकार** की जाती है। अधीनस्थ न्यायालयों यथा जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.08.2021 एवं उपतहसीलदार बस्सी का निर्णय दिनांक 10.09.2015 यथावत रखा जाता है। तहत का अभिलेख लौटाया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय सुनाया गया।

(महावीर खराड़ी)
R.A.S.
अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर